

①

कौशल विकास संचालनालय  
मध्य प्रदेश  
नर्मदा रोड जबलपुर(म.प्र.)  
E-mail: dttrgjbpp@gmail.com

कमांक- कौशल/MPSSDM/2017/2016 /आदेश/  
/कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर दिनांक 24/04/2017 /  
"मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल्या योजना" के जिले स्तर पर निष्पादन, संचालन, निगरानी एवं गुणवत्ता के लिये जिले के अंदर ब्लॉक, इकाईयों, प्रशिक्षण केंद्रों एवं जिला प्रशासन तथा मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समन्वय करने हेतु राज्य के समस्त जिलों के लिए उनके समक्ष दर्शाये गये संस्था प्रमुखों/प्राचार्य/प्रशिक्षण अधिकारियों को उनके मूल कार्य के साथ-साथ मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना "एवं" मुख्यमंत्री कौशल्या योजना" के लिये जिला परियोजना प्रबंधक (District Project Manager) एवं जिला स्तर के ट्रेनिंग एन्ड प्लेसमेंट ऑफिसर (TPOs) को, जिला सहायक परियोजना प्रबंधक (Assistant District Project Manager), एतद् द्वारा आगामी आदेश तक के लिये नामांकित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू मान्य होगा।

स. क्र.	जिला	जिला परियोजना प्रबंधक (मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना) प्राचार्य/संस्था प्रमुख /नोडल अधिकारी का नाम	दूरभाष /मोबाईल न.	ई-मेल का पता	जिला सहायक परियोजना प्रबंधक
1	भोपाल	श्री आर. के. अस्टिन, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गोपाल।	0755-2582700, 0755-258674, 9425829684	mitibhopal@gmail.com	श्री. विलास नागदावने मो.न.8823090634 आ.औ.प्रशि संस्था भोपाल
2	रायसेन	श्री एम. के. नन्दवार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायसेन।	07482-280210, 9827657024	itiraisen@rediffmail.com	श्री. दीवेश भवसार मो.न.9993285589 औ.प्र.संस्था रायसेन
3	बिदिशा	श्री ली. के. सक्सेना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजबसोवा।	07592-250988, 9009212120	iti.basoda@rediffmail.com	श्री सुषमा रानी जोहरी मो.न.9752169685 औ.प्रशि संस्था बिदिशा
4	सिंहार	श्री प्रकाश सिंह उईके, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिंहार।	07562-224080, 9669531425	witischore@gmail.com	श्री. विनय मिश्रा मो.न.9200351009 औ.प्रशि संस्था सिंहार
5	राजगढ़	श्री एस.डी. दंगी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खिलचीपुर।	07370-277847, 9009430047	itikhilchipur@gmail.com	श्री. एम. व्ही. संतोश कुमार मो.न.9827839073 औ.प्रशि संस्था राजगढ़
6	होशंगाबाद	श्री सुनील बडिये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था होशंगाबाद।	07574-257661, 9425386375	principalitihbad@gmail.com	श्री अंजुलसिंह गौतम मो.न.9993924418 औ.प्रशिसंस्था होशंगाबाद।
7	बैतूल	श्री. बी. आर. टाडिया, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल।	07141-238247, 9406922910	prnitibetul@gmail.com	श्री. विजय नारायन बोरले मो.न.9406647328 औ.प्रशिसंस्था बैतूल
8	हरदा	श्री. के. एल. जाटव, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हरदा।	07577-223504, 9826219144	ts.tti.harada@gmail.com	श्री. शुभम मिश्रा मो.न.9926534319 औ.प्रशि संस्था हरदा।

M.

1

मध्य प्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / 63 / पुरस / 2017 / तल शिक्षा भोपाल दिनांक 06 मई, 2017

प्रति

1. समस्त कमिश्नर,  
मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर  
मध्य प्रदेश

विषय: "रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई", "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल योजना" को सम्पूर्ण प्रदेश में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु मुख्यमंत्री कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के दिशा निर्देश बावत।

मध्यप्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की मॉनिटरिंग, प्रगति, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं प्रमाणीकरण के लिए कार्यरत एमपीसीवेट के उद्देश्यों को और सुदृढ़ एवं प्रभावी ढंग से लागू करने की दृष्टि से उसके स्वरूप और भूमिका में संशोधन कर मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन (एमपीएसएसडीएम) का गठन किया गया है।

कौशल विकास विभाग मध्यप्रदेश राज्य में कौशल विकास को प्रभावी बनाने के लिए और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के लिए समर्पित है। उसी तारतम्य में "रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई", नवीन कौशल विकास योजनायें "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल योजना" का शुभारंभ भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रुडी द्वारा एवं अन्य जिलों में मंत्रियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक साथ 11 मई को प्रदेश के सभी 51 जिलों की आईटीआई से किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य 9 वी एवं 10 वी के बच्चों को आईटीआई में प्रवेश हेतु एवं नवीन प्रारंभ होने वाली कौशल विकास योजनाओं में अत्यावधि रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु युवाओं को प्रेरित करना है।

**मुख्यमंत्री कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार (CM Skill Excellence Award)** – इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों हेतु राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना बनाई गई है। जिसमें इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग देने वाले अधिकारियों यथा – कमिश्नर, कलेक्टर एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ संभागीय, जिला,ब्लाक एवं ग्राम स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को पुरस्कृत किया जायेगा। इस वर्ष पुरस्कार के लिये "रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई" अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल योजना" का प्रभावी मोबिलाइजेशन घटक होंगे। आगामी वर्षों के लिये पुरस्कार योजना के प्राथमिक तौर पर निम्नलिखित घटक होंगे-

- विकासखंड एवं जिला स्तर पर आईटीआई में प्रवेश हेतु, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल योजना में पंजीकृत प्रशिक्षणार्थी की संख्या।
- रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई अभियान अंतर्गत ग्रीष्मकालीन कैंप में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या।

• विकासखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कौशल जन जागरण मेला एवं रोजगार मेला ।

• योजना में प्रशिक्षित छात्रों के लिए स्वरोजगार एवं नियोजन की संख्या ।

• इन योजनाओं को सफल बनाने हेतु किये गये नवाचार ।

पुरस्कार योजना की विस्तृत जानकारी एवं नामांकन प्रक्रिया शीघ्र ही भेजी जाएगी ।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देश है कि आपके द्वारा प्रति सप्ताह ली जाने वाली टी.एल. समीक्षा बैठकों में तथा समय-समय पर निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकों के "एजेन्डा" में "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल योजना" को प्राथमिकता से लेते हुए कोन्द्रित किया जावे। लक्ष्य समूह को प्रोत्साहित एवं सक्रिय करने में ग्राम पंचायत स्तर के सचिव, ग्राम कोटवार, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक, पंच, सरपंच, पार्षद, लोक कला समूह, स्व-सहायता समूहों की भूमिका अग्रणी होगी। अतः विशेष रूप से समन्वय एवं सहयोग के लिए प्रेरित करें। उपरोक्त योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

संलग्न :-1.मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना

2.मुख्यमंत्री कौशल योजना

3.समरकैप का कन्टेन्ट



(कल्पना श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं

कौशल विकास विभाग

प्रति,

1. समस्त कमिश्नर,  
मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर,  
मध्य प्रदेश

विषय: "रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई", "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल योजना" को सम्पूर्ण प्रदेश में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु मुख्यमंत्री कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के दिशा निर्देश बावत।

मध्यप्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की मॉनिटरिंग, प्रगति, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं प्रमाणीकरण के लिए कार्यरत एमपीसीवेट के उद्देश्यों को और सुदृढ़ एवं प्रभावी ढंग से लागू करने की दृष्टि से उसके स्वरूप और भूमिका में संशोधन कर मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन (एमपीएसएसडीएम) का गठन किया गया है।

कौशल विकास विभाग मध्यप्रदेश राज्य में कौशल विकास को प्रभावी बनाने के लिए और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के लिए समर्पित है। उसी तारतम्य में "रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई"; नवीन कौशल विकास योजनायें "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल योजना" का शुभारंभ भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रुड़ी द्वारा एवं अन्य जिलों में मंत्रियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक साथ 11 मई को प्रदेश के सभी 51 जिलों की आईटीआई से किया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य 9 वी एवं 10 वी के बच्चों को आईटीआई में प्रवेश हेतु एवं नवीन प्रारंभ होने वाली कौशल विकास योजनाओं में अल्पावधि रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु युवाओं को प्रेरित करना है।

1. **मुख्यमंत्री कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार (CM Skill Excellence Award)** – इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों हेतु राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना बनाई गई है। जिसमें इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग देने वाले अधिकारियों यथा -- कमिश्नर, कलेक्टर एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ संभागीय, जिला,ब्लाक एवं ग्राम स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को पुरस्कृत किया जायेगा। इस वर्ष पुरस्कार के लिये "रोजगार की पढाई, चलें आईटीआई" अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल योजना" का प्रभावी मोबिलाइजेशन घटक होंगे। आगामी वर्षों के लिये पुरस्कार योजना के प्राथमिक तौर पर निम्नलिखित घटक होंगे-

- विकासखंड एवं जिला स्तर पर आईटीआई में प्रवेश हेतु, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल योजना में पंजीकृत प्रशिक्षणार्थी की संख्या।
- रोजगार की पढाई; चलें आईटीआई अभियान अंतर्गत ग्रीष्मकालीन कैंप में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या।
- विकासखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कौशल जन जागरण मेला एवं रोजगार मेला।

- योजना में प्रशिक्षित छात्रों के लिए स्वरोजगार एवं नियोजन की संख्या।
  - इन योजनाओं को सफल बनाने हेतु किये गये नवाचार।
  - पुरस्कार योजना की विस्तृत जानकारी एवं नामांकन प्रक्रिया शीघ्र ही भेजी जाएगी।
2. **रोजगार की पढाई, चले आईटीआई अभियान**  
उद्देश्य -
- आईटीआई में प्रवेश हेतु जागरूक/प्रेरित/उन्मुख करना।
  - ड्राप आउट बच्चों को मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्य योजना योजना जैसे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना।
  - अन स्किल्ड वर्कफोर्स को स्किल्ड वर्कफोर्स में परिवर्तित करना और उन्हें रोजगार के दरवाजे तक पहुँचाना।
  - कौशल विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाना।

- रोजगार की पढाई, चले आईटीआई अभियान- रोजगार की पढाई, चले आईटीआई अभियान चरणबद्ध तरीके से 11 मई 2015 से 30 जून 2017 तक चलेगा।
- प्रथम चरण -स्कूल के छात्र छात्राओं हेतु ग्रीष्मकालीन कैंप- दिनांक 11 मई 2015 से 26 मई 2017 तक
- द्वितीय चरण -ग्रीष्मकालीन कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का प्रदेश स्तर भोपाल में सम्मान -दिनांक -30 मई 2017
- तृतीय चरण - 9वीं एवं 10वीं के छात्रों का आईटीआई में भ्रमण -दिनांक 1 जून से 15 जून 2017 तक
- चतुर्थ चरण - आईटीआई के अधिकारियों द्वारा अभियान एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु स्कूलों में भ्रमण दिनांक -15 जून से 30 जून 2017 तक।

3. **“मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना” एवं “मुख्यमंत्री कौशल्य योजना”** - इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं एवं महिलाओं को अल्पावधि रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित कर रोजगार/स्वरोजगार योग्य बनाना है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में प्रतिवर्ष 2.5 लाख युवाओं को एवं मुख्यमंत्री कौशल्य योजना में 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए प्रारंभिक चरण में 19 सेक्टरों का चयन किया गया है। ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें प्रदेश, देश एवं देश के बाहर वैतनिक रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास की अपार संभावनाएं हैं।

उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं-

- मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना अल्प अवधि कौशल प्रशिक्षण हेतु बनाई गई है, जिसमें प्रवेश हेतु 15 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिलाएं पात्र होंगी एवं मुख्यमंत्री कौशल्य योजना में 15 वर्ष से अधिक उम्र की केवल महिलाएं पात्र होंगी।
- प्रशिक्षण की अवधि 15 दिवस से 09 महीने की होगी। जिसमें भारत सरकार की इकाई एनएसडीए द्वारा निर्धारित मानदंड नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा और राष्ट्रीय मानकों पर आधारित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- इस प्रमाण पत्र की स्वीकार्यता संपूर्ण देश में होगी। योजना अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों में से 70 प्रतिशत को रोजगार/स्वरोजगार प्रदान करने का प्रावधान भी है।

- इन योजनाओं अंतर्गत रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के तहत अनौपचारिक रूप से अनुभव प्राप्त प्रशिक्षित/हुनरमंद कामगारों के प्रमाणीकरण का प्रावधान भी है।
- इन योजनाओं के लिये एक पोर्टल [ssdm.mp.gov.in](http://ssdm.mp.gov.in) का पृथक से निर्माण किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ही प्रशिक्षण से संबंधित पंजीयन, बायोमैट्रिक उपस्थिति, प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण उपरांत ऑनलाइन प्रमाण पत्र, नियोजन की मॉनीटरिंग एवं नियोजन के पश्चात तीन माह तक मॉनीटरिंग की जावेगी।
- प्रशिक्षण शासकीय, अर्धशासकीय एवं विख्यात निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

**4. District level Mission Management Unit** - योजना शुभारंभ के पूर्व युवाओं/महिलाओं को कौशल संवर्धन की इन योजनाओं का लाभ सहज एवं सरल ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं सक्रिय करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौशल उन्नयन की उक्त योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति में DLMMU की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसके मुख्य पदाधिकारियों में कलेक्टर-अध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत-उपाध्यक्ष, आईटीआई नोडल प्राचार्य-सचिव, अन्य विभागों के जिला पदाधिकारी एवं उद्योगों के प्रतिनिधि-सदस्य हैं। DLMMU से निम्नलिखित अपेक्षाएं की जा रही हैं -

- जिला कलेक्टर स्तर पर योजनाओं की मासिक प्रगति बैठक।
- जिलास्तर पर योजनाओं को जनसाधारण तक पहुँचाना और प्रभावी मोबिलाइजेशन करना।
- योजनाओं से जुड़े हुए विभागों के साथ संपर्क और कन्वर्जन्स।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों व केन्द्रों का फील्ड निरीक्षण करना और एमपीएसएसडीएम को अवगत कराना।
- कौशल जन जागरण मेला एवं रोजगार मेलों का आयोजन।
- जिला स्तर पर मुख्य नियोक्ताओं का चयन करना और प्रशिक्षणार्थियों के प्रभावी नियोजन हेतु कार्य करना।
- "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल्य योजना" से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देना।

DLMMU के विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देश है कि आपके द्वारा प्रति सप्ताह ली जाने वाली टी.एल. समीक्षा बैठकों में तथा समय-समय पर निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकों के "एजेंडा" में "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना" एवं "मुख्यमंत्री कौशल्य योजना" को प्राथमिकता से लेते हुए केन्द्रित किया जावे। लक्ष्य समूह को प्रोत्साहित एवं सक्रिय करने में ग्राम पंचायत स्तर के सचिव, ग्राम कोटवार, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक, पंच, सरपंच, पार्षद, लोक कला समूह, स्व-सहायता समूहों की भूमिका अग्रणी होगी। अतः विशेष रूप से समन्वय एवं सहयोग के लिए प्रेरित करें। उपरोक्त योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

संलग्न :- योजना की विस्तृत जानकारी पत्र के साथ संलग्न है।

  
(बसंत प्रताप सिंह)  
मुख्य सचिव



// आदेश //

आदेश क्रमांक 1  
(राज्य स्तरीय मॉनीटर्स)

/भोपाल, दिनांक 17 मई 2017

क्रमांक / एमपीएसएसडीएम / मु.मं.योजनायें / 2017/937 / मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना  
एवं मुख्यमंत्री कौशलया योजना की मॉनीटरिंग के लिये राज्य स्तरीय मॉनीटर्स निम्नानुसार  
नामांकित किये जाते हैं -

S.N.	District	Registration_Target	Names of State Level Monitors (SLM)	Mobile No.
1.	AGAR MALWA	4310	Alok Modi	9893050304
2.	ALIRAJPUR	6433	Vinay Mishra	9200351009
3.	ANUPPUR	5964	Anchal Shukla	9424996456
4.	ASHOKNAGAR	6501	Alok Modi	9893050304
5.	BALAGHAT	14290	Nishkarsh Mehra	9755053646
6.	BARWANI	11490	Abhijit Kundu	9425302278
7.	BETUL	12114	Preeti	9958024181
8.	BHIND	12130	Shakti Singh	8103513593
9.	BHOPAL	3997	Bhavna	7838007940
10.	BURHANPUR	4724	Devendra Parkar	9907275863
11.	CHHATARPUR	12944	Vishal Singhi	8374843076
12.	CHHINDWARA	15166	Brijesh Verma	8120104055
13.	DAMOH	9916	Rahul Agrawal	9111109363
14.	DATIA	5914	Shailendra Dubey	7477000456
15.	DEWAS	10496	Vijeta Srivastava	9826040229
16.	DHAR	16910	Deepesh	9993285589
17.	DINDORI	8097	A.P.Singh	9202215241
18.	KHANDWA	9975	Devendra Parkar	9907275863
19.	GUNA	8819	Shailendra Dubey	7477000456
20.	GWALIOR	6171	Amit Mishra	7869919658
21.	HARDA	4307	Aliva Das	9776987372
22.	HOSHANGABAD	9869	Aliva Das	9776987372
23.	INDORE	8083	Vijeta Srivastava	9826040229
24.	JABALPUR	7988	Uday Mitra	9953949424
25.	JHABUA	8855	Vinay Mishra	9200351009
26.	KATNI	9765	Uday Mitra	9953949424
27.	KHARGONE	15050	R.K.Bhavsar	9893004967
28.	MANDLA	9057	A.P.Singh	9202215241
29.	MANDSAUR	10159	Manish Sharma	8223003854
30.	MORENA	13706	Shakti Singh	8103513593
31.	NARSINGHIPUR	8281	Brijesh Verma	8120104055
32.	NEEMUCH	5380	Ankur Jain	9893040841
33.	PANNA	8540	Abhishek Ranjan	7772947873
34.	RAISEN	9652	Preeti	9958024181
35.	RAJGARH	11843	R.K.Gupta	9424964844

जैसे राहत आईटीआई भवन, मोविंदपुर, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.), पिन - 462023  
दूरभाष - 0755-2581138, 4045440, फ़ैक्स - 0755-2581138

S.N.	District	Registration_Target	Names of State Level Monitors (SLM)	Mobile No.
36.	RATLAM	9680	Ankur Jain	9893040841
37.	REWA	18739	Gaurav Tiwari	9179170172
38.	SAGAR	16130	Rahul Agrawal	9111109363
39.	SATNA	16608	Gaurav Tiwari	9179170172
40.	SEHORE	10010	Bhavna	7838007940
41.	SEONI	11843	Nishkarsh Mehra	9755053646
42.	SHAHDOL	6502	Anchal Shukla	9424996456
43.	SHAJAPUR	7265	R.K.Gupta	9424964844
44.	SHEOPUR	5512	Rajesh Sharma	8823076620
45.	SHIVPURI	13249	Rajesh Sharma	8823076620
46.	SIDHI	9816	Abhishek Tiwari	9201010178
47.	SINGRAULI	9034	Abhishek Tiwari	9201010178
48.	TIKAMGARH	11349	Abhishek Ranjan	7772947873
49.	UJJAIN	11538	Manish Sharma	8223003854
50.	UMARIA	5233	Anchal Shukla	9424996456
51.	VIDISHA	10596	Amit Mishra	7869919658
	<b>Grand Total</b>	<b>500000</b>		

उक्त राज्य स्तरीय मॉनीटर निम्नलिखित कार्य/दायित्व निर्वहन करेंगे:-

1. प्रतिदिन योजना के पोर्टल पर लाभार्थी/हितग्राहियों के पंजीयन की मॉनीटरिंग करना।
2. जिला कैम्पेन मैनेजर द्वारा अपने दायित्व निर्वहन में किये गये कार्यों की दैनिक समीक्षा करना। (कैम्पेन मैनेजर की सूची संलग्न है)
3. जिला कलेक्टर से संपर्क एवं समन्वय कर जिले के स्टेक होल्डर (अधिकारी/पदाधिकारी/जनप्रतिनिधि/योजना से जुड़े व्यक्ति) के लिये योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट (DLMMU) के द्वारा 'MMKSY/MMKY ओरियन्टेशन कार्यशाला' आयोजित करना।
4. संपूर्ण अभियान अवधि में कम से कम दो बार अपने आवंटित जिलों का भ्रमण करना।
5. जिला लेवल पर आने वाली सामान्य समस्याओं को सुलझाना तथा विषय विशेष पर आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाईयों व प्रशासनिक प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करना।
6. प्रत्येक सप्ताह, जिलों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में किये गये नवाचार बावत् प्रतिवेदन एमपीएसएसडीएम को ऑफिसियल मेल आईडी [mmksy@mp.gov.in](mailto:mmksy@mp.gov.in) पर भेजना सुनिश्चित करना।
7. जिलों के भ्रमण के दौरान फील्ड विजिट रिपोर्ट को उसी दिन फील्ड केम्प से मिशन मुख्यालय, भोपाल को प्रेषित करना।
8. स्टेट लेवल मॉनीटर के जिले भ्रमण के दौरान जिले के डीपीएम/नोडल प्राचार्य आईटीआई, आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

उपरोक्त उल्लेखित दायित्वों के निर्वहन के लिये मिशन मुख्यालय नोडल अधिकारी श्री बी.आर.विश्वकर्मा, संयुक्त संचालक, कौशल विकास को नामांकित किया जाता है। समस्त राज्य स्तरीय मानीटर्स अपनी दैनिक प्रगति से नोडल अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

( संजीव सिंह )IAS

मुख्य कार्यपालनअधिकारी

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन,

भोपाल, मध्यप्रदेश



क्रमांक / एमपीएसएसडीएम / मु.मं.योजनायें / 2017 / 938 (D) / भोपाल, दिनांक 17/5/11.7

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, म.प्र.।
3. संचालक, कौशल विकास, जबलपुर मध्यप्रदेश।
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा, भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर्स एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय मिशन मैनेजमेंट यूनिट (DLMMU)।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।
7. समस्त, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, कौशल विकास मध्यप्रदेश।
8. जिला स्तरीय नोडल प्राचार्य आईटीआई, मध्यप्रदेश।
9. समस्त कैंपेन मैनेजर्स, (MMKS/MMKY) ब्लॉक स्तर, मध्यप्रदेश।
10. संबंधित राज्य स्तरीय मॉनीटर (SLM) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

( संजीव सिंह )<sup>LAS</sup>

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन,  
भोपाल, मध्यप्रदेश

// आदेश //

आदेश क्रमांक 2  
(राज्य स्तरीय पोर्टल ट्रेबलशूटिंग सेल)  
/भोपाल, दिनांक 17 मई 2017

क्रमांक / एमपीएसएसडीएम / मु.मं. योजनायें / 2017 / 935 / मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना  
एवं मुख्यमंत्री कौशल योजना के क्रियान्वयन के दौरान पोर्टल के संचालन में आने वाली  
सूचित / चिन्हित तकनीकी कठिनाईयों / समस्याओं एवं अन्य कठिनाईयों के लिये निम्नानुसार  
राज्य स्तरीय पोर्टल ट्रेबलशूटिंग सेल गठित किया जाता है -

क्र.	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नंबर
1.	श्री राजेश शर्मा, प्रशिक्षण अधिकारी	8823076620
2.	श्री उदय मित्रा, कंसल्टेंट, एमपीएसएसडीएम	9953949424
3.	श्री शैलेन्द्र दुबे, कंसल्टेंट, एमपीएसएसडीएम	7477000456
4.	श्री अमित मिश्रा, कंसल्टेंट, मैप आईटी	7869919658

उक्त राज्य स्तरीय पोर्टल ट्रेबलशूटिंग सेल निम्नलिखित कार्य / दायित्व निर्वहन करेगा :-

1. मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल योजना के क्रियान्वयन के दौरान पोर्टल के संचालन में आने वाली सूचित / चिन्हित तकनीकी कठिनाईयों / समस्याओं का निदान करना।
2. जिले से प्राप्त समस्त कठिनाईयां एवं उनके निराकरण का एक निश्चित प्रपत्र में लॉग संधारित करना।
3. पोर्टल से संबंधित समस्त तकनीकी कठिनाईयों का वर्गीकरण कर उनके समाधान को पूरे प्रदेश में प्रचारित एवं प्रसारित करना।
4. वर्गीकृत कठिनाईयों की पुनरावृत्ति न हो, इसके संबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी करना।
5. पोर्टल की क्षमता का नियमित आंकलन कर समय पूर्व क्षमता वृद्धि के लिये तैयारी करना।
6. जिस एजेंसी से सर्वर संचालित है, उससे नियमित संपर्क एवं समन्वय रखना।
7. भविष्य में आने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं को सूचीबद्ध कर उनके निराकरण के लिये स्थाई हल ढूँढना।
8. लाइव चैट का यूजर इंटरफेज मैनेज करना एवं समस्याओं का समय पर निदान करना।

उपरोक्त उल्लेखित दायित्वों के निर्वहन के लिये मिशन मुख्यालय नोडल अधिकारी श्री जी.एन.अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसएसडीएम को नामांकित किया जाता है। उक्त राज्य स्तरीय पोर्टल ट्रेबलशूटिंग सेल अपनी दैनिक प्रगति से नोडल अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

( संजीव सिंह )<sup>IAS</sup>

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन,  
भोपाल, मध्य प्रदेश